

भारत में महिलाओं के वरिद्ध क्रमिक हिसा

प्रलिस के लयि:

भारतीय चकितिसा संघ, [पंदरहवाँ वतित आयोग](#), [समवर्ती सूची](#), [राष्ट्रीय अपराध रकिरड बयुरो](#), [प्रथम सूचना रपिरट](#), [PoSH अधनियिम](#), [वशिखा दशि-नरिदेश](#), [बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना](#), [उजजवला योजना](#), [नरिभया फंड](#)

मेन्स के लयि:

भारत में महिला सुरक्षा और कानूनी सुधार, महिलाओं से संबंढति मुददे, सामाजकि मानदंडों की भूमकि और महिला सशक्तीकरण

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में कोलकाता में एक प्रशकिषु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने [महिला सुरक्षा](#) को लेकर देश भर में चतिाएँ पैदा कर दी हैं और इससे [स्वास्थ्य कर्मयों का वरिध प्रदर्शन तेज हो गया है](#), और यह अब अपनी सुरक्षा के लयि एक केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं।

- कड़े कानूनों के बावजूद [महिलाओं के वरिद्ध अपराध जारी हैं](#), जससे व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता रेखांकति होती है।

स्वास्थ्यकर्मयों की मांगें कया हैं?

मांग:

- केंद्रीय सुरक्षा अधनियिम:** [भारतीय चकितिसा संघ](#) (Indian Medical Association- IMA) स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनशिचति करने के लयि एक राष्ट्रव्यापी कानून के कार्यान्वयन की वकालत कर रहा है, [जोयूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा \(National Health Service- NHS\) की शून्य-सहषिणुता नीति और हमलों के लयि संयुक्त राज्य अमेरिका की गुंडागर्दी \(अपराध जो दंडनीय होने हेतु पर्याप्त गंभीर है\) वर्गीकरण जैसे वैश्वकि उदाहरणों के समान है।](#)
 - अमेरिका में गंभीर अपराधों को उनकी अधिकतम जेल सजा के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कयिा जाता है।
 - सबसे गंभीर श्रेणी A के अपराधों के लयि अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, जबकि श्रेणी E के अपराधों हेतु अधिकतम 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है।
- उन्नत सुरक्षा उपाय:** अस्पतालों और चकितिसा केंद्रों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड और नगिरानी वाले सुरक्षा कैमरे की व्यवस्था।
 - डॉक्टरों के लयि [सुरक्षति कार्य और रहने की स्थति सुनशिचति करना](#), जसमें अच्छी रोशनी वाले गलियारे और सुरक्षति वार्ड शामिल हों।
 - स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में सुरक्षा प्रणालयों और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना।
- वर्तमान प्रावधान:**
 - राज्य की ज़मिमेदारयिाँ:** स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य के वषिय हैं, तथा केंद्र सरकार के पास चकितिसा पेशेवरों पर हमलों के संबंढ में केंद्रीकृत ऑकड़ों का अभाव है।
 - [पंदरहवाँ वतित आयोग](#) के अध्यक्ष एन.के. सहि ने सुझाव दयिा कि स्वास्थ्य को संवधान के अंतर्गत [समवर्ती सूची](#) में स्थानांतरति कर दयिा जाना चाहयि, कयोंकि वर्तमान में यह [राज्य सूची](#) में है।
 - स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय का आदेश:** स्वास्थ्य कर्मयों के खलिाफ कसिी भी हसिा के छह घंटे के भीतर FIR दर्ज करना अनविर्य है।
 - राष्ट्रीय चकितिसा आयोग (NMC) के नरिदेश:** मेडकिल कॉलेजों को सुरक्षति कार्य वातावरण और घटनाओं की समय पर रपिरटगि के लयि नीतयिाँ वकिसति करने की आवश्यकता है।
- मांगों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:** स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोलकाता की घटना मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आती है और इसके लयि केंद्रीय संरक्षण अधनियिम अनावश्यक है, कयोंकि 26 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में पहले से ही स्वास्थ्य कर्मयों की

सुरक्षा के लिये कानून मौजूद हैं।


- ये कानून स्वास्थ्य कर्मियों के वरिद्ध हिसा को **संज्ञेय और गैर-ज़मानती** मानते हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं।

भारत में महिला सुरक्षा के बारे में अपराध के आँकड़े क्या बताते हैं?


- **बढ़ती अपराध दर:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) ने वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 445,256 मामले दर्ज किये।
 - वर्ष 2018 से 2022 तक महिलाओं के वरिद्ध दर्ज अपराधों में 12.9% की वृद्धि हुई।
 - **भारत में महिलाएँ और पुरुष, 2023 रिपोर्ट** से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिसा के वर्ष 2017 के 359,849 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में बढ़कर यह 445,000 से भी अधिक हो गए हैं, इस आधार पर औसतन प्रतिदिन 1,220 मामलों के साथ प्रति घंटे 51 **प्रथम सूचना रिपोर्ट** (First Information Report- FIR) दर्ज की गईं।
 - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** में पाया गया कि भारत में 15-49 वर्ष की लगभग एक-तहाई महिलाओं ने किसी न किसी रूप में हिसा का अनुभव किया है।

//

Violence against women increased by 12.9% from 2018 to 2022 in India



- **अपराध के प्रकार:** सबसे आम अपराधों में **पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता** (31.4%), अपहरण (19.2%), **लज्जा भंग करने** (18.7%) और **बलात्कार** (7.1%) शामिल हैं।
 - ये आँकड़े उन खतरों को रेखांकित करते हैं जिनका सामना महिलाएँ अपने घरों में भी करती हैं।



- **लगातार बढ़ते बलात्कार के मामले:** वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान गरिबों के अपवाद को छोड़कर, रिपोर्ट किये गए बलात्कारों की संख्या उच्च बनी हुई है।
 - वर्ष 2016 में हमले लगभग 39,000 तक पहुँच गए थे। वर्ष 2018 तक, देश भर में हर 15 मिनट में महिला बलात्कार की एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जो इन अपराधों की चिंताजनक आवृत्तियों को उजागर करती है।
 - वर्ष 2022 में 31,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किये गए, जो इस मुद्दे की व्यापक गंभीरता को दर्शाता है।
 - सख्त कानूनों के बावजूद, बलात्कार के लिये सजा की दर कम रही है, जिसमें वर्ष 2018 से 2022 तक दर में 27%-28% के बीच उतार-चढ़ाव होता रहा है।
- **महामारी का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी के कारण महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि हुई है, वर्ष 2020 में अपराध दर प्रति 100,000 महिलाओं पर 56.5 से बढ़कर वर्ष 2021 में 64.5 हो गई है। आर्थिक तनाव, सामाजिक अलगाव और रिवर्स माइग्रेशन जैसे कारकों से इसमें वृद्धि हुई है।
- **कार्यस्थल पर उत्पीड़न:** यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण: POSH) अधिनियम, 2013 से महिलाओं के संरक्षण के अधिनियमन के बावजूद, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके मामले वर्ष 2018 के 402 से बढ़कर वर्ष 2022 में 422 हो गए हैं।
 - हालाँकि, संभावित रूप से सामाजिक पूर्वाग्रहों और नतीजों के डर के कारण इन संख्याओं की कम रिपोर्टिंग हुई है।
- **महिला सुरक्षा सूचकांक:** जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट के महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक- 2023 के अनुसार, भारत ने 1 में से 0.595 अंक प्राप्त किये जिससे महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के मामले में 177 देशों में भारत की रैंकिंग 128वें स्थान पर आ गई।
 - सूचकांक में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2022 में महिलाओं को नशाना बनाकर की जाने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले में भारत शीर्ष 10 सबसे खराब देशों में शामिल है।

महिला सुरक्षा से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

- **कानून:**
 - **अंतरराष्ट्रीय अभिसमय:** वर्ष 1993 में महिलाओं के वरिद्ध सभी स्वरूपों के भेदभाव के नविवरण संबंधी अभिसमय (CEDAW) सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों को भारत द्वारा अनुमोदित किया गया।
 - भारत ने मेक्सिको कार्य योजना (1975) का भी समर्थन किया, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ लैंगिक भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करना है।
 - **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956:** यह वेश्यावृत्त के लिये वाणिज्यिक सेक्स वर्कर और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है।
 - **महिलाओं का अभद्र चर्चण अधिनियम, 1986:** यह वज्रपापनों और प्रकाशनों में महिलाओं के अभद्र चर्चण पर प्रतिबंध लगाता है।
 - **महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये राष्ट्रीय नीति (2001):** इसका उद्देश्य महिलाओं की उन्नति और सशक्तीकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा का नविवरण एवं रोकथाम, सहायता और कार्रवाई के लिये तंत्र प्रदान करना है।
 - **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-2012):** महिलाओं के प्रति हिंसा (VAW) को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें घरेलू हिंसा और बलात्कार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिये अनविवार्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं सहित सहायता प्रदान की जाती है।
 - **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण) (POSH) अधिनियम, 2013:** POSH अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई करता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।
 - यह यौन उत्पीड़न को अवांछित शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश, यौन संबंधी मांगें या प्रस्ताव, यौन संबंधी टिप्पणी, अश्लील चर्च या पोर्नोग्राफी दिखाना, किसी और प्रकार का अवांछनीय यौन या कामुक भाव से किया गया शारीरिक,

मौखिक, अमौखिक आचरण के रूप में परभाषित करता है।

- यह अधिनियम 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित [वशाखा दशानरिदेशों](#) पर आधारित है, जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न पर कार्रवाई करता है।
 - यह [भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15](#) और CEDAW जैसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है।
- [आपराधिक कानून \(संशोधन\) अधिनियम, 2013](#): यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी कानूनी रोकथाम के लिये अधिनियमिति।
 - इसके अलावा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड सहित और भी अधिक कठोर दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिये अधिनियमिति किया गया था।
- [जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मशिन \(JNNURM\)](#): महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिये शहरी विकास में लैंगिक विचारों को शामिल करने की सफ़ारिश करता है।
- [लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#): बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, उनकी सुरक्षा के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है और अपराधियों के लिये सख्त दंड सुनिश्चित करता है।

■ रणनीतियाँ और उपाय:

- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना](#): यह योजना लैंगिक भेदभाव को रोकने के साथ बालिकाओं के अस्तित्व की सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- [उज्ज्वला योजना](#): इसका उद्देश्य बाल तस्करी को रोकने के साथ व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों को बचाना और उनका पुनर्वास करना है।
- [नरिभया फंड](#): इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा हेतु पहलों का समर्थन करना है, जसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना तथा सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में सुधार करना शामिल है।
- [महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल: स्वाधार गृह योजना](#) जैसी योजनाओं का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए अलप्रावध आवास प्रदान करना तथा उनके लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है।
- [ट्रेनों में महिला सुरक्षा: 182 सुरक्षा हेलपलाइन](#), महिला डबिबों में सीसीटीवी कैमरे तथा आपात स्थिति हेतु 'आर-मतिर' मोबाइल ऐप की शुरुआत करना।
- [महिला पर्यटकों की सुरक्षा](#): इन उपायों में 'अतुल्य भारत हेलपलाइन', सुरक्षित पर्यटन हेतु आचार संहिता तथा पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकारों को निर्देश देना शामिल है।
- [मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन \(DMRC\)](#) ने महिलाओं के लिये विशेष कोच एवं आरक्षित सीटों के साथ सुरक्षा हेतु समर्पित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी रखे हैं।
- [सार्वभौमिक महिला हेलपलाइन \(फोन सहायता\) योजना](#): यह प्रचारित हेलपलाइन के माध्यम से 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित है।
- [मोबाइल ऐप](#):
 - [सुरक्षा \(Suraksha\)](#): इसे आपातकालीन स्थिति में महिलाओं को पुलिस से जुड़ने तथा अपनी लोकेशन भेजने के त्वरित एवं आसान तरीका प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
 - [अमृता व्यक्तिगत सुरक्षा प्रणाली \(APSS\)](#): यह परिवार एवं पुलिस के साथ संचार बनाए रखने में प्रभावी उपकरण है।
 - [वथि \(VithU\)](#): यह ऐप आपातकालीन स्थिति में कांटेक्ट लस्ट में शामिल लोगों को अलर्ट भेजता है।

महिला सुरक्षा हेतु कानून एवं नयिम अपर्याप्त क्यों हैं?

- [कार्यान्वयन का अभाव](#): वर्ष 2012 के नरिभया मामले के बाद बनाए गए सख्त कानून (जैसे कि दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013) विभिन्न क्षेत्रों एवं पुलिस अधिकार क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाए हैं।
 - संबंधित संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना जैसे विनियमों का कार्यान्वयन अपर्याप्त बना हुआ है।
 - इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में [भारतीय प्रतभित और विनियम बोर्ड \(SEBI\)](#) ने सूचीबद्ध कंपनियों को यौन उत्पीड़न के मामलों की सालाना रिपोर्ट देने की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाया।
- [प्रणालीगत मुद्दे](#): कानून प्रवर्तन प्रणालियों में भ्रष्टाचार से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के प्रयासों में शथिलता आती है।
 - प्रतशोध के भय, कानून एवं व्यवस्था में विश्वास की कमी या कानूनी प्रक्रिया के अप्रभावी होने के कारण हिसा की कई घटनाएँ रिपोर्ट नहीं की जाती हैं।
- [सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड](#): रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण एवं मानदंड से इनको प्राप्त विधिक सुरक्षा कमज़ोर होती है। इसके चलते कुछ समुदायों में महिलाओं के खिलाफ हिसा को सामान्य माना जा सकता है या गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है।
 - रूढ़िवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं कलंक के डर से अपराधों की रिपोर्ट करने या मदद मांगने में महिलाएँ हतोत्साहित हो सकती हैं।
- [विधिक चुनौतियाँ](#): पीड़ितों को अक्सर न्याय प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक सबूतों को देना पड़ता है, जससे सजा की दर में कमी आ सकती है। विधिक जटिलता से पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है।
 - न्यायिक प्रक्रिया बोझिल होने से पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो सकती है। इससे पीड़ित अपराधों की रिपोर्ट करने से भी हतोत्साहित हो सकते हैं।
- [आर्थिक नरिभरता](#): आर्थिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो महिलाएँ दुर्व्यवहार करने वालों पर आर्थिक रूप से नरिभर हैं, उन्हें विधिक सुरक्षा के बावजूद भी रशित तोड़ना मुश्किल हो सकता है।
- [प्रवर्तन का प्रतशोध](#): संस्थानों एवं नीतिनिर्माताओं द्वारा कथि जाने वाले सुधार का प्रतशोध करने से विधियों एवं विनियमों को बेहतर बनाने में बाधा आ सकती है।
 - हिसा के उभरते रूपों या सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के अनुरूप कानूनी ढाँचे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं।
- [जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव](#): महिलाओं में अक्सर अपने विधिक अधिकारों और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में सीमिति जानकारी होती है। जानकारी की यह कमी न्याय और सहायता पाने में महिलाओं के लिये बाधक हो सकती है।

महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

■ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पहल:

- **अंतरराष्ट्रीय महिला हिसा उन्मूलन दविस:** महिलाओं के साथ होने वाली हिसा को रोकने के लिये प्रतविरष 25 नवंबर को वशिव भर में अंतरराष्ट्रीय महिला हिसा उन्मूलन दविस (International Day for the Elimination of Violence against Women) मनाया जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षति शहर और महिलाओं व बालकियों के लिये सुरक्षति सार्वजनकि स्थान:** इसका उद्देश्य महिलाओं और बालकियों के लिये सुरक्षति एवं समावेशी सार्वजनकि स्थान बनाना है। यह मानता है कि सार्वजनकि स्थान समाज में महिलाओं की भागीदारी के लिये आवश्यक हैं, **लेकिन वे भय और उत्पीडन के स्थान भी हो सकते हैं।**
 - इसका उद्देश्य सुरक्षा रणनीतियों में लैंगकि दृष्टिकोण को एकीकृत करना, महिलाओं के वरिद्ध हिसा से नपिटने के लिये उपकरण वकिसति करना तथा शहरी नयोजन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- **लगि समावेशी शहर कार्यक्रम:** यह महिलाओं के वरिद्ध हिसा को समाप्त करने के लिये कार्रवाई के समर्थन में **संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड** द्वारा वतितपोषति है।
 - इस पहल का उद्देश्य सार्वजनकि स्थानों तक समान पहुँच को बढ़ावा देकर **दार-एस-सलाम**, दलिली, रोसारयो और पेटरोजावोडसक जैसे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करना है।
- **महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र वकिस कोष (UNIFEM):** यह लैंगकि समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये वतिलीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

■ राष्ट्रीय दृष्टिकोण:

- **यूनाइटेड किंगडम:** लंदन अथॉरटी की रणनीति **सुरक्षति परविहन टीमें को बढ़ावा देकर**, जागरूकता अभयान चलाकर और प्रवर्तन को बढ़ाकर महिलाओं एवं बालकियों के खिलाफ हिसा से नपिटती है।
- **लैटिन अमेरिका:** बोगोटा जैसे शहरों ने **महिलाओं के लिये ही मेट्रो कार और पुलसि स्टेशन** जैसी सुरक्षा रणनीतियाँ वकिसति की हैं।

आगे की राह

- **राष्ट्रव्यापी संरक्षण कानून:** एक केंद्रीय संरक्षण अधिनियम का समर्थन करना जो ब्रिटन की शून्य-सहषिणुता नीति (हिसा से सुरक्षा और हमलों के लिये धमकी) को प्रतबिबिति करता है।
 - इस कानून से सभी कार्यरत पेशेवरों को समान सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये तथा पूरे देश में सुसंगत एवं व्यापक सुरक्षा सुनश्चिति की जानी चाहिये।
 - PoSH अधिनियम, 2013 जैसे मौजूदा कानूनों के अनुपालन को सुनश्चिति करने के लिये **नगिरानी तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।** प्रभावशीलता और अनुपालन पर नज़र रखने के लिये नियमति ऑडिट व रपिर्ट अनवारिय होनी चाहिये।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** **जसटिस वर्मा समिति** की सफारिश के अनुसार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापति करने के साथ **बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में सज़ा में वृद्धि की जानी चाहिये।** न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतनिधित्व बढ़ाना चाहिये।
- **स्थानीय सुरक्षा उपाय:** महिलाओं के वरिद्ध हिसा को रोकने और उससे नपिटने के लिये **SHE टीम** जैसी वशेष पुलसि इकाइयों का करयान्वयन करना चाहिये।
 - SHE टीमस तेलंगाना पुलसि का एक प्रभाग है जो महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिये कार्य करता है। SHE टीमस ने **ऑनलाइन स्टॉकगि से लेकर शारीरिक उत्पीडन और हिसा तक के अपराधों** के लिये यौन उत्पीडन की शकिर महिलाओं की मदद करके उन्हें **सफलतापूर्वक सुरक्षा तथा सहायता प्रदान की है।**
- **सुरक्षति शहर डज़ाइन:** शहरी नयोजन में सुरक्षा सुवधियों को एकीकृत करना जैसे कि बेहतर स्ट्रीट लाइटगि और सुरक्षति सार्वजनकि स्थान।
- **सहायता प्रणाली:** परामर्श सेवाओं और कानूनी सहायता सहति पीडितियों के लिये सहायता प्रणाली को मज़बूत करना। सुनश्चिति करना कि पीडितियों की अतरिकित बाधाओं के बिना संसाधनों तक पहुँच हो।
- **सार्वजनकि जागरूकता अभयान:** मीडिया, शैक्षणकि संस्थानों और सामुदायकि संगठनों का उपयोग करके महिलाओं के अधिकारों, कार्यस्थल सुरक्षा एवं उपलब्ध कानूनी उपायों के वषिय में जागरूकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रव्यापी अभयान शुरू करना।

?????? ???? ????:

प्रश्न. मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध जारी हैं। हिसा की उच्च दरों के कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और इन मुद्दों को हल करने के लिये व्यापक सुधार सुझाएँ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रतयौन-उत्पीडन के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबन्धों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से नपिटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

